ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री शुभाष चंद	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतीष कुमार	01-04-22 से 19-01-24
2.	श्री संजीव कुमार	20-01-24 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बलधर के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	1.02
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	29.65
3.	6	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.80
4.	7	विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार प्राप्ति न करना	0.02
5.	8	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.10
6.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करना	27.08
7.	10	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे	0.04
8.	11	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	18.08
9.	12	निविदा में अंकित दर की अपेक्षा अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान करना	0.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2013 से 03/2016" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4,4.1,4.2	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 6.1	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	

11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2020 से 03/2022" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 65)
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 4.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 4.2	अनिर्णीत	
5	पैरा 4.3	अनिर्णीत	
6	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 6	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹600 की प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
8	पैरा 6.1	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹325 की प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
9	पैरा 6.2	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹2800 की प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
10	पैरा 6.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित

11	पैरा 6.4	अनिर्णीत	
12	पैरा 7	अनिर्णीत	
13	पैरा 8	अनिर्णीत	
14	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
15	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
16	पैरा 8.3	अनिर्णीत	
17	पैरा 9	अनिर्णीत	
18	पैरा 10	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹750 की प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
19	पैरा 11	अनिर्णीत	
20	पैरा 12	अनिर्णीत	
21	पैरा 12.1	अनिर्णीत	
22	पैरा 13	अनिर्णीत	
23	पैरा 13.1	अनिर्णीत	
24	पैरा 13.2	अनिर्णीत	
25	पैरा 13.3	अनिर्णीत	
26	पैरा 14	अनिर्णीत	
27	पैरा 15	अनिर्णीत	
28	पैरा 16	अनिर्णीत	
29	पैरा 17	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 06-09-2024 से दिनांक 17-09-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय बलधर में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	02/23	05/22
2023-24	10/23	06/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹**5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को

प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 379 दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बलधर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बलधर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बलधर के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	213203.00	122472.00	335675.00	54216.00	281459.00
2023-24	281459.00	462568.00	744027.00	125825.00	618202.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत बलधर के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2071007.35	7612377.00	9683384.35	6400927.00	3282457.35
2023-24	3282457.35	5396284.00	8678741.35	5713853.00	2964888.35

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH FC/SDP/VKVNY	KCCB NAGROTA BAGWAN	20012008258	1467704.00
2.	AAY	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791733	12266.00
3.	GENERAL/5TH FC	KCCB NAGROTA	50055789804	539.00

		BAGWAN		
4.	General/SDRF	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791370	584.00
5.	GENERAL /13TH FC	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791642	6933.00
6.	GENERAL	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055793059	8141.00
7.	14TH FC	CANRA BANK NAGROTA BAGWAN	5074101001956	22.35
8.	15TH FC	CANRA BANK NAGROTA BAGWAN	5074101001754	2186316.00
9.	हस्तगत रोकड़			2827.00
कुल योग				**3685332.35**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	3685332.35
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	3583090.35
अंतर	**102242.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹1.02 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाया है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को ₹**102242.00** की राशि का अन्तर पाया गया ।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है , जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377(1) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बलधर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर लिया जायेगा व जिसे आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अत: इस अनियमितता के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार सचिव द्वारा केवल एक हज़ार तक की राशि ही इस्प्रेस्ट/अग्रदाय के रूप में रखी जा सकती है|

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ₹2827.00 की राशि को हस्तगत रूप में रखा गया था, जोकि उपरोक्त नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है|

अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

4.4 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General/5THFC/SDP/VKVNY व GENERAL/5TH FC व General/SDRF व GENERAL /13TH FC आदि स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध General/5THFC/SDP/VKVNY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक नगरोटा बगवां में खाता संख्या 20012008258 व GENERAL/5TH FC स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक नगरोटा बगवां में खाता संख्या 50055789804 व General/SDRF स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक नगरोटा बगवां में खाता संख्या 50055791370 व GENERAL /13TH FC स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, काँगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक नगरोटा बगवां में खाता संख्या 50055791642 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी | इस प्रकार पंचायत के लेखें पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए |

5. अनुदान राशि ₹29.65 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2964888.35 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377(2) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बलधर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में तथ्य पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹1.80 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :*

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार

दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण पर पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण व सही पता नहीं लगाया जा सका। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹180248 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "2"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आरम्भिक शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	740	50	164998	37000	201998	58750	143248
2023-24	740	50	143248	37000	180248	0	180248

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377 (3) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024

द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1500 की प्राप्ति न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई. आर. डी. पी./बी.पीएल.श्रेणी के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व 50 आई. आर. डी. पी./बी.पीएल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था। परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है :-

क्रम सं0	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	प्राप्त की गई राशि (A) (₹)	रसीद संख्या /दिनांक	प्राप्ति योग्य राशि (B) (₹)	कम प्राप्त की गई राशि (B-A) (₹)
1.	15	रिशु कुमार पुत्र श्री नेक राज	04.08.22	13.10.22	200	59625/ 13.10.22	400	200
2.	2	संदीप कुमार पुत्र श्री	22.12.22	1.01.23	0	--	0	200

		कुलदीप चंद						
3.	5	लक्ष्य चौधरी पुत्र श्री लेख राज	10.11.22	23.01.23	300	595631/ 23.01.23	400	100
4.	6	अश्वनी कुमार पुत्र श्री करतार चंद	14.12.22	03.02.23	200	595632/ 03.02.23	400	200
5.	8	तरुण कुमार पुत्र श्री केवलकृष्ण	07.12.22	15.02.23	200	595635/ 15.02.23	400	200
6.	9	रोहित कुमार पुत्र श्री करम चंद	03.01.23	04.03.23	200	595636/ 04.03.23	400	200
7.	10	पंकज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश	02.12.22	10.03.23	200	595637/ 10.03.23	400	200
8.	32	अमित कुमार पुत्र श्री हेम राज	16.01.24	25.02.24	200	595664/2 5.02.24	400	200
							कुल योग	**1500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377(5) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त की गई राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"**

में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.10 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2022-23	5000
2	2023-24	5000
कुल योग		**10000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377(4) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस मामले को

सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी से पत्राचार/सम्पर्क कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

09. खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹27.08 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट –"3"** में सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान ₹**2707701.74/-** का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(1) दिनांक 05.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के आभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की अनुपस्थिति में खनन सामग्री की आपूर्ति वैध स्रोत से होने की अंकेक्षण में पुष्टि न हो सकी।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

10. दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा-निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	रजनी देवी	..... 2565...... 16.07.2023 से 30.07.2023	Desiliting of कुहल घलाल	27.07.2023	500	240
2	हरवंश लाल	..... 2581...... 16.07.2023 से 30.07.2023	Desiliting of कुहल भकडोला	27.07.2023	500	240
3	रेखा देवी	..... 2585...... 16.07.2023 से 30.07.2023	Desiliting of कुहल वार्ड न०2	27.07.2023	500	240
4	मीरा देवी	..... 2588...... 16.07.2023 से 30.07.2023	Desiliting of कुहल उपली घलालवार्ड न०2	27.07.2023	500	240
5	देव राज	..... 3123...... 01.08.2023 से 15.08.2023	Desiliting of कुहलघमाटा	09.08.2023	500	240
6	हरबंश लाल	..... 3040...... 01.08.2023 से 15.08.2023	Desiliting of कुहल भकडोलावार्ड न०2	09.08.2023	500	240
7	देव राज	..... 7395...... 16.02.2024 से 29.02.2024	Flood protection near sureshkumar house ward no.2	28.02.2024	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(4) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. क्रय किये गये सामान राशि ₹18.08 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, क़राधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**1807577** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	शीर्ष	बिल संख्या/ दिनांक	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1.	मनरेगा	17915 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	30 बैग	10230
2.	मनरेगा	029 दिनांक 11.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	पत्थर	1800 nos	49600
3.	मनरेगा	17924 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
4.	मनरेगा	17917 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150

5.	मनरेगा	17923 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
6.	मनरेगा	17921 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
7.	मनरेगा	047 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	100 CFT 400 CFT 5 CUBM	22500
8.	मनरेगा	027 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी	300 CFT 500 CFT	42540
9.	मनरेगा	039 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	200 CFT 400 CFT 5 CUBM	36000
10.	मनरेगा	042 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	200 CFT 300 CFT 5 CUBM	31500
11.	मनरेगा	031 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी	200 CFT 500 CFT	42190
12.	मनरेगा	050 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	200 CFT 5 CUBM	27000
13.	मनरेगा	028 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी	300 CFT 550 CFT	44475
14.	मनरेगा	048 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	150 CFT 5 CUBM	25375
15.	मनरेगा	040 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	300 CFT 400 CFT 5 CUBM	41000
16.	मनरेगा	6352 दिनांक 20.01.2022	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
17.	मनरेगा	17925 दिनांक 17.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	140 बैग	47740
18.	मनरेगा	17928 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल	सीमेंट	140 बैग	47740

				सप्लाई			
19.	मनरेगा	6354 दिनांक 20.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	120 बैग	40920
20.	मनरेगा	6355 दिनांक 20.01.2022	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
21.	मनरेगा	6353 दिनांक 20.01.2022	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
22.	मनरेगा	17930 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	100 बैग	34100
23.	मनरेगा	6356 दिनांक 20.01.2022	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	100 बैग	34100
24.	मनरेगा	17930 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
25.	मनरेगा	17919दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
26.	मनरेगा	17922 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
27.	मनरेगा	17918 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	150 बैग	51150
28.	मनरेगा	17926 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट	50 बैग	17050
29.	मनरेगा	6351 दिनांक 20.01.2022	25.05.2022	मै. हि.प्र. सिविलसप्लाई	सीमेंट	52 बैग	17732
30.	मनरेगा	049 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	100 CFT 5 CUBM	22500
31.	मनरेगा	041 दिनांक 17.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	250 CFT 400 CFT 5 CUBM	38500
32.	मनरेगा	051 दिनांक 17.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बोल्डर	28 CUBM	44800

33.	मनरेगा	044 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी	450 CFT	30250
34.	मनरेगा	036 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी	250 CFT 800 CFT	48500
35.	मनरेगा	024 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बोल्डर	200 CFT 5 CUBM	41390
36.	मनरेगा	052 दिनांक 17.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	100 CFT 5 CUBM	22500
37.	मनरेगा	045 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	500 CFT 10 CUBM	38500
38.	मनरेगा	037 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बोल्डर	200 CFT 20 CUBM	47075
39.	मनरेगा	025 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी	400 CFT 600 CFT	47000
40.	मनरेगा	026 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	250 CFT 500 CFT 5 CUBM	48040
41.	मनरेगा	046 दिनांक 16.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	बजरी बोल्डर	100 CFT 10 CUBM	30500
42.	मनरेगा	038 दिनांक 05.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	200 CFT 400 CFT 10 CUBM	48040
43.	मनरेगा	043 दिनांक 07.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	Tiles (60MM)	800 nos	19200
44.	मनरेगा	033 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	रेत बजरी बोल्डर	250 CFT 200 CFT	22340
45.	मनरेगा	034 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	Tiles (60MM)	2000 nos	48000
46.	मनरेगा	034 दिनांक 01.11.2021	25.05.2022	मै.रंजना देवी कांट्रेक्टर	Tiles (60MM)	1500 nos	36000
कुल योग							**1807577**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(5) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख न रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा में अंकित दर की अपेक्षा अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

मनरेगा शीर्ष के बिल संख्या 029 दिनांक 01.11.2021 भुगतान की तिथि 25.05.2022 के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कट स्टोन (खाड़ू) के क्रय हेतु मै. हिमाचल ट्रेडर को भुगतान किया गया था परन्तु मदों की क्रय दर की पुष्टि हेतु वर्ष 2021-22 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मदों का क्रय निविदा में अंकित दर के अपेक्षा अधिक दर पर किया गया था जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹9000 का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष	बिल संख्या/दिनांक	मद का विवरण	सामग्री की मात्रा	अदायगी दर (₹)	अदायगी की गई राशि (A) (₹)	निविदा में अंकित दर (₹)	निविदा की दर के अनुसार भुगतान योग्य राशि(B) (₹)	अधिक भुगतान (A-B) (₹)
1.	मनरेगा	029 दिनांक 01.11.2021	कट स्टोन(खाड़ू)	1800 nos	27	48600	22	39600	9000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334(7) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र° स°	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2022-23	05/22	2195031.00
2.	2023-24	06/23	2076136.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(2) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त नियम प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

14. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/22 व 06/23 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 05/22 व 06/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचरों पर नियमानुसार प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(3) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रॉस मोनिटरिंग हेतु पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
7	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
8	बिल रजिस्टर	13	48
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(07) दिनांक 17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378(08) दिनांक

17.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्रांक GP BALDHAR/04 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वाशन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

18. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
का०/प्रति
5756-5760 28 NOV 2024 दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)64/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
का०/प्रति
दूरभाष–0177–2620046

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BALDHAR BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176047

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	213203	122472.00	335675	54216.00	281459.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 213203.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT BALDHAR BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176047

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	281459.00	462568.00	744027	125825.00	618202

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 281459.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat.........
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

Total checked
J.A

प्रधान........
दिनांक........

28

परिशिष्ट-1 पेज 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP BALDHAR BLOCK Nagrota Bagwan FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	215377.35	2818.00	218195.35	214666.00	3529.35
2	MGNREGA	0	5717351.00	5717351.00	5717351.00	0.00
3	SDP/VKVNY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	135609	234600.00	370209.00	258240	111969.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RAY	78000	0.00	78000.00	0.00	78000.00
8	SDRF	7719	0.00	7719.00	0	7719.00
9	SK RELIEF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	AAY	10000	330.00	10330.00	0.00	10330.00
12	NRHM	10000	0.00	10000.00	0.00	10000.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ZP/SDP	140650	0.00	140650.00	61674.00	78976.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1473652	1657278.00	3130930.00	148996.00	2981934.00
	TOTAL	2071007.35	7612377.00	9683384.35	6400927.00	3282457.35

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP DARINI BLOCK Nagrota Bagwan FOR THE YEAR 2023-24

GP DARINI B	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	3529.35	143.00	3672.35	3650.00	22.35
2	MGNREGA	0.00	4148860.00	4148860.00	4148860.00	0.00
3	SDP/VKVNY	0.00	365000.00	365000.00	0.00	365000.00
4	5TH FC	111969.00	390412	502381.00	440370	62011.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	225000	225000.00	46230	178770.00
7	RAY	78000.00	0.00	78000.00	0.00	78000.00
8	SDRF	7719.00	0	7719.00	0	7719.00
9	SK RELIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	AAY	10330.00	330.00	10660.00	0.00	10660.00
12	NRHM	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ZP/SDP	78976.00	0.00	78976.00	12586.00	66390.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2981934.00	266539.00	3248473.00	1062157.00	2186316.00
	TOTAL	3282457.35	5396284.00	8678741.35	5713853.00	2964888.35

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 3282457.35

Total Checked
J.A

Panchayat Secretary
Gram Panchayat......
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

निरीक्षक....
निरीक्षक....

29

	BANK DETAIL OF GP BALDHAR BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	**General/5TH FC/SDP/VKVNY**	KCCB NAGROTA BAGWAN	20012008258	1467704.00
2	**AAY**	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791733	12266.00
3	**GENERAL/5TH FC**	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055789804	539.00
4	**General/SDRF**	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791370	584.00
5	**General/13TH FC**	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055791642	6933.00
6	**GENERAL**	KCCB NAGROTA BAGWAN	50055793059	8141.00
7	**14TH FC**	CANRA BANK NAGROTA BAGWAN	5074101001956	22.35
8	**15TH FC**	CANRA BANK NAGROTA BAGWAN	5074101001754	2186316.00
CASH IN HAND				2827.00
TOTAL				**3685332.35**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat.......
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

Total Checked

30

परिशिष्ट-2 पैरा-6 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BALDHAR BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	740	50	164998	37000	201998	58750	143248

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT BALDHAR BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	740	50	143248	37000	180248	0	180248

Total Checked
J.A

प्रधान
दिनांक

Panchayat Secretary
Gram Panchayat.........
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट-3 पैरा-1 के सदर्भ में

चयननित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिउ आपूर्तिकर्ताओं को गये भुगतानों का विवरणः—

क्रमांक	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान की गयी राशि	सामग्री रेत	बजरी	पत्थर	निर्माण कार्य का नाम
1	मनरेगा	27/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	37500	300 CFT	500 CFT	--	निर्माण कुहल तोड़ से लेकर प्रीतम की जमीन तक वार्ड न॰ 1 (1304009407/IC/32061637)
2	मनरेगा	39/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	36000	200 CFT	400 CFT	5 M3	निर्माण कुहल तोड़ से लेकर प्रीतम की जमीन तक वार्ड न॰
3	मनरेगा	47/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	12500	100 CFT	500 M3	--	निर्माण कुहल तोड़ से लेकर प्रीतम की जमीन तक वार्ड न॰
4	मनरेगा	31/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	37500	300 CFT	500 CFT	--	निर्माण कुहल ककड़ोआ सोमदत्त धीमान की जमीन से लेकर ज्ञान चंद की जमीन तक वार्ड न॰ 4 (1304009407/IC/32061638)
5	मनरेगा	42/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	31500	200 CFT	300 CFT	5 M3	निर्माण कुहल ककड़ोआ सोमदत्त धीमान की जमीन से लेकर ज्ञान चंद की जमीन तक वार्ड न॰ 4 (1304009407/IC/32061638)
6	मनरेगा	50/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	17000	--	200 CFT	5 M3	निर्माण कुहल ककड़ोआ सोमदत्त धीमान की जमीन से लेकर ज्ञान चंद की जमीन तक वार्ड न॰ 4 (1304009407/IC/32061638)
7	मनरेगा	28/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	39750	300S CFT	550 CFT	--	निर्माण कुहल फेटा चला बनवारी की जमीन से जग्गो की जमीन तक वार्ड न॰ 7 (1304009407/IC/32061639)
8	मनरेगा	40/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	39048	300 CFT	400 CFT	5 M3	निर्माण कुहल फेटा चला बनवारी की जमीन से जग्गो की जमीन तक वार्ड न॰ 7 (1304009407/IC/32061639)
9	मनरेगा	48/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	14750	--	150 CFT	5 M3	निर्माण कुहल फेटा चला बनवारी की जमीन से जग्गो की जमीन तक वार्ड न॰ 7 (1304009407/IC/32061639)
10	मनरेगा	32/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	40800	200 CFT	400 CFT	8 M3	निर्माण कुहल व् भूसरंक्षण - चकनाला, बेदप्रकाश की जमीन से लेकर दिनेश की जमीन तक वार्ड न॰ 4 (1304009407/IC/32061640)

32

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block
Distt. Kangra

11	मनरेगा	049/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	12500	--	100 CFT	5 M3	निर्माण संपर्क मार्ग व डगा पंजाब सिंह व सुरेश कुमार की गोशाला तक वार्ड न० 5 (1304009407/LD/32086086)
12	मनरेगा	041/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	36666	250 CFT	400 CFT	5 M3	निर्माण संपर्क मार्ग व डगा पंजाब सिंह व सुरेश कुमार की गोशाला तक वार्ड न०
13	मनरेगा	030/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	43000	250 CFT	500 CFT	5 M3	निर्माण संपर्क मार्ग व डगा पंजाब सिंह व सुरेश कुमार की गोशाला तक वार्ड न०
14	मनरेगा	24/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	36000	400 CFT	--	10 M3	निर्माण संपर्क मार्ग बलदेव कुमार की जमीन से लेकर जय राम की जमीन तक वार्ड न० 2 (1304009407/RC/8000117786)
15	मनरेगा	36/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	46190	250 CFT	800 CVT	--	निर्माण संपर्क मार्ग बलदेव कुमार की जमीन से लेकर जय राम की जमीन तक वार्ड न०
16	मनरेगा	44/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	20250	--	450 CFT	--	निर्माण संपर्क मार्ग बलदेव कुमार की जमीन से लेकर जय राम की जमीन तक वार्ड न०
17	मनरेगा	51/17.11.2021	RANJNA DEVI NBG	42666	--	--	28 M3	निर्माण संपर्क मार्ग बलदेव कुमार की जमीन से लेकर जय राम की जमीन तक वार्ड न०
18	मनरेगा	25/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	47000	400 CFT	600 CFT	--	निर्माण संपर्क मार्ग जय राम की जमीन से लेकर मेन सड़क तक वार्ड न० 2 (1304009407/RC/8000117787)
19	मनरेगा	37/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	42000	200 CFT	--	20 M3	निर्माण संपर्क मार्ग जय राम की जमीन से लेकर मेन सड़क तक वार्ड न०
20	मनरेगा	45/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	38500	--	500 CFT	10 M3	निर्माण संपर्क मार्ग जय राम की जमीन से लेकर मेन सड़क तक वार्ड न०
21	मनरेगा	52/17.11.2021	RANJNA DEVI NBG	12500	--	100 CFT	5 M3	निर्माण संपर्क मार्ग जय राम की जमीन से लेकर मेन सड़क तक
22	मनरेगा	26/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	43000	250 CFT	500 CFT	5 M3	नि0 र्माण संपर्क त्रिलोक चंद के घर से लेकर जनका देवी की जमीन त26क वार्ड न० 2 (1304009407/RC/8000117788)

33

Panchayat Secretary
Gram Panchayat..........
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

23	मनरेगा	38/05.11.2021	RANJNA DEVI NBG	46500	250 CFT	400 CFT	10 M3	निर्माण संपर्क त्रिलोक चंद के घर से लेकर जनका देवी की जमीन तक वार्ड न०
24	मनरेगा	46/16.11.2021	RANJNA DEVI NBG	20500	--	100 CFT	10 M3	निर्माण संपर्क त्रिलोक चंद के घर से लेकर जनका देवी की जमीन तक वार्ड न०
25	मनरेगा	33/01.11.2021	RANJNA DEVI NBG	21500	250 CFT	200 CFT	--	निर्माण संपर्क मार्ग विजय कुमारी के घर से लेकर रतन की गौशाला तक वार्ड न० 5 (1304009407/RC/8000117789)
Total				~~86372~~ 0	4400	8550	146 M3	

8|5|20 (A)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat ...
Dev. Block ...
Distt. Mandi (H.P.)

34

चयननित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिउ आपूर्तिकर्ताओं को गये भुगतानों का विवरणः—

क्रमांक	शीर्ष	वाउचर संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान की गयी राशि	सामग्री रेत	बजरी	पत्थर	निर्माण कार्य का नाम
1	मनरेगा	166/08.10.2022	AKASH SAINI	106211.8	18.05 M3	35.6 M3	--	निर्माण चैक डैम नजदीक बाबड़ी वार्ड न॰ 1 (1304009407/FP/8000093442)
2	मनरेगा	169/15.10.2022	AKASH SAINI	106211	18.05 M3	35.67 M3	--	निर्माण चैक डैम मूंडी खड्ड वार्ड न॰ 2 (1304009407/FP/8000093443)
3	मनरेगा	172/25.10 2022	AKASH SAINI	106211.8	18.05 M3	35.67 M3	--	निर्माण चैक डैम वार्ड न॰ 3 (1304009407/FP/8000093445)
4	मनरेगा	190/27.11.2022	AKASH SAINI	106211.8	18.05 M3	35.67 M3	--	निर्माण चैक डैम नजदीक शिव मंदिर की वार्ड न॰ 1 (1304009407/FP/8000094458)
5	मनरेगा	185/27.11.2022	AKASH SAINI	58415.34	15.94 M3	31.87 M3	11.55 M3	निर्माण कुहल धर्म सिंह की जमीन से लेकर करतार की जमीन तक (नगरेटी जमीन) (1304009407/IC/8000042891)
6	मनरेगा	175/05.11.2022	AKASH SAINI	54729	15.94 M3	26.63 M3	--	निर्माण कुहल सरणू दी कूहल घलाल WN 2 (1304009407/IC/8000042892)
7	मनरेगा	176/15.11.2022	AKASH SAINI	8809	--	--	11.5 M3	निर्माण कुहल सरणू दी कूहल घलाल WN
8	मनरेगा	183/25.11.2022	AKASH SAINI	67262.34	15.94 M3	31.87 M3	11.55 M3	निर्माण कूहल प्रकाश चंद की जमीन से लेकर मौनी राम की जमीन तक WN 3 (1304009407/IC/8000042893)
9	मनरेगा	186/28.11.2022	AKASH SAINI	67262.34	15.94 M3	31.87 M3	11.55 M3	निर्माण कूहल सल्ली की कूहल व डन्गा आर॰सी॰सी॰ WN 05 (1304009407/IC/8000042894)
10	मनरेगा	153/13.07.2022	AKASH SAINI	108174	15.93 M3	31.84 M3	10.99 M3	निर्माण कूहल विनय कुमार की जमीन से लेकर छराड नाला तक WN 5 (1304009407/IC/8000042895)
11	मनरेगा	189/25.07.2022	AKASH SAINI	55395	12 M3	25 M3	11.55 M3	निर्माण कूहल अजब लाल की जमीन से लेकर तिलक राज की जमीन तक WN 3 (1304009407/IC/8000043154)
12	मनरेगा	163/10.08.2022	AKASH SAINI	50855.70	14.86 M3	20 M3	--	निर्माण भू-संरक्षण राजीव कुमार की जमीन से लेकर कर्म चंद, वेद

35

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

								13प्रकाश, राजिन्द्र कुमार, प्रीतम चंद14, ओम (1304009407/LD/8000052400)
13		165/07.10.2022	AKASH SAINI	12639	--	--	16.5 M3	निर्माण भू-संरक्षण राजीव कुमार की जमीन से लेकर कर्म चंद, वेद प्रकाश, राजिन्द्र कुमार, प्रीतम चंद, ओम
14		188/30.11.2022	AKASH SAINI	56025	12 M3	26.5 M3	11.55 M3	निर्माण भू-संरक्षण कूहल व आर०सी०सी०डन्गा बृज लाल की जमीन से लेकर चूहड़ सिंह की जमीन तक WN 7 (1304009407/LD/8000053915)
15		197/25.12.2022	AKASH SAINI	473838	12.31 M3	24.61 M3	2.94 M3	निर्माण टाईलनुमा रास्ता धर्म चंद की जमीन से लेकर देशराज के घर तक WN 2 (1304009407/RC/8000131765)
16		177/15.11.2022	AKASH SAINI	67609.65	12.31 M3	24.58 M3	2.94 M3	निर्माण टाईलनुमा रास्ता सड़क से लेकर छीड तक रास्ता व डंगा लगवाना WN 6 (1304009407/RC/8000131767)
17		179/18.11.2022	AKASH SAINI	74726.76	12.31 M3	26.61 M3	2.94 M3	निर्माण रास्ता छीड से लेकर बड बृक्ष तक WN 6 (1304009407/RC/8000131770)
18		156/25.07.2022	AKASH SAINI	108062	22.63 M3	30.73 M3	5.7 M3	निर्माण रास्ता व भू-संरक्षण कार्य पंचायत घर के साथ WN 7 (1304009407/RC/8000131772)
19		193/16.12.2022	AKASH SAINI	27503.76	12.31 M3	10.92 M3	--	निर्माण टाईलनुमा रास्ता मेन सड़क से मूंडी खड्ड तक WN 2 (1304009407/RC/8000133727)
20		199/28.12.2022	AKASH SAINI	74195.52	12.31 M3	24.61 M3	2.94 M3	निर्माण टाईलनुमा रास्ता कालीदास की जमीन से जीवन कुमार के घर तक WN 2 (1304009407/RC/8000133729)
21		195/21.12.2022	AKASH SAINI	27503.33	12.31 M3	10.86 M3	--	निर्माण टाईलनुमा रास्ता वेद प्रकाश, राजिन्द्र कुमार के घर से लेकर डीनू बाबा मन्दिर तक WN 4 (1304009407/RC/8000133730
22		181/21.11.2022	AKASH SAINI	74729.6	12.31 M3	24.61 M3	2.94 M3	निर्माण रास्ता बड बृक्ष से भागी के घर तक WN 6 (1304009407/RC/8000133734)
Total				1892581.7[illegible]	301.35	545.79	116.8	

1892581.74 (B)

Total A+B = 2707701.74

36

Panchayat Secretary
Gram Panchayat ....
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)